न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 :04/2019

अनवान :

1. दलीपसिंह पुत्र मोलूराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जगदीश पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भादुरसिंह पुत्र मोलूराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामस्वरूप पुल मोलूराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रोशनी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा छानीबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा छानीबडी तहसील भादरा।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कण्डीशन एक्ट सपठित धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **प्रार्थी**

वकील श्री रोहताश शर्मा : **अप्रार्थी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 05.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 24/32 के मु0नं0 67 के किला नं0 16/2 की 0.096 है0, नहरी 0.088 है0 रास्ता 0.008 है0 किला नं0 18 ता 20 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल किता 4 की 0.855 है0 नहरी 0.8470 है0, रास्ता 0.008 है0 कृषि भूमि प्रार्थी सं0 2 जगदीश के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 33/32 के मुरबा नं0 67 के किला नं. 1 ता 3 प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 6/2 की 0.056 है0, नहरी 0.051 है0 रास्ता, 0.005 है0 किला नं0 15/1 की 0.040 है0 नहरी 0.038 है0 रास्ता 0.002 है0 कुल किता 5 की 0.855 है0 नहरी 0.848 है0 गै0मु0रास्ता 0.007 है0 भूमि प्रार्थी सं0 1 दलीपसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी काश्तकारी भूमि दर्ज है।

प्रार्थी सं0 1 के दक्षिणी तरफ अप्रार्थी सं0 3 रोशनी की इसी चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 115/32 के मु0नं0 67 के किला नं0 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, किला नं0 15/2 की 0.096 है0, नहरी 0.088 है0 रास्ता 0.008 है0 कुल 0.855 है0 नहरी 0.8470 है0 रास्ता 0.008 है0 खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि

5.8.19
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

अप्रार्थी सं0 3 रोशनी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं प्रार्थी सं0 2 की कृषि भूमि के चिपते ही उतरी तरफ अप्रार्थी सं0 2 रामस्वरूप की इसी चक 6 जेजीडब्ल्यु, खाता सं0 108/32 के मु0नं0 67 के किला नं0 11, 12, 13 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, किला नं0 15/3 की0.028 है0 नहरी 0.025 है0 रास्ता 0.003 है0 एवं किला नं0 16/1 की 0.068 है0 नहरी 0.063 है0, रास्ता 0.005 है0, कुल 0.855 है0 नहरी 0. 8470 है0, रास्ता 0.008 है0 भूमि खातेदारी अप्रार्थी सं0 2 रामस्वरूप के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं इसी चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 71/32 के मु0नं0 67 के किला नं0 6/1 की 0.096 है0 नहरी 0.088 है0, रास्ता 0.008 है0 किला नं0 7, 14, 17 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी कुल 0.855 है0 नहरी 0.8470 है0 रास्ता 0.008 है0 खातेदारी काश्तकारी भूमि अप्रार्थी सं0 1 भादुरसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि दर्ज है।

पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान ने अपनी उपर वर्णित कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा लिया। पक्षकारान ने आपस में खाता विभाजन करवाते समय अपनी सहमति से प्रार्थी सं0 1 ने अपनी उपर वर्णित कृषि भूमि के मु0नं0 67 के किला नं0 15 में किला के उतरी ओर पूर्व से पश्चिम 108 लम्बाई में व सवा आठ फिट चौडाई में एवं अप्रार्थी सं0 1 भादुरसिंह ने अपनी उपर वर्णित कृषि भूमि के मुरबा नं0 67 के किला नं0 14 में किला के उतरी ओर पूर्व से पश्चिम 165 फीट लम्बाई में व सवा आठ फिट चौडाई में एवं अप्रार्थी सं0 2 रामस्वरूप ने अपनी उपर वर्णित कृषि भूमि के मुरबा नं0 67 के किला नं0 13 में किला के पूर्वी ओर उतर से दक्षिण 165 फीट लम्बाई में सवा आठ फीट चौडाई में एवं अप्रार्थी सं0 3 रोशनी ने अपनी उपर वर्णित कृषि भूमि के मुरबा नं0 67 के किला नं0 8 में किला के पूर्वी ओर दक्षिण से उतर 165 फीट लम्बाई में व सवा आठ फिट चौड़ाई में रास्ता छोड़ दिया था एवं पक्षकारान ने उक्त रास्ता में आवागमन करना शुरू कर दिया परन्तु उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज नहीं हुआ। इसलिए प्रार्थीगण उपर वर्णित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 स्टेट बैंक शाखा छानीबडी को तर्क किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी जगदीश के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा चक 6 जेजीडब्ल्यु प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 24/32 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 33/32 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 71/32 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 103/32 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 6, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 115/32 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

5.8.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने चक 6 जेजीडब्ल्यु की अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए चालु रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है एवं उन्होने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है व मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में चालु रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए सहमत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कण्डीशन एक्ट सपठित धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी सं0 1 दलीपसिंह के चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 33/32 के मु0नं0 67 के किला नं0 15 में किला के उतरी ओर पूर्व से पश्चिम 108 लम्बाई में व सवा आठ फिट चौडाई में यानि 0.0085 है0 एंव अप्रार्थी सं0 1 भादुरसिंह के चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 71/32 के मुरबा नं0 67 के किला नं0 14 में किला के उतरी ओर पूर्व से पश्चिम 165 फीट लम्बाई में व सवा आठ फिट चौडाई में यानि 0.013 है0 एवं अप्रार्थी सं0 2 रामस्वरूप के चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 108/32 के मुरबा नं0 67 के किला नं0 13 में किला के पूर्वी ओर उतर से दक्षिण 165 फीट लम्बाई में सवा आठ फीट चौडाई में यानि 0.013 है0 एवं अप्रार्थी सं0 3 रोशनी के चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 115/32 के मु0नं0 67 के किला नं0 8 में किला के पूर्वी ओर दक्षिण से उतर 165 फीट लम्बाई में व सवा आठ फिट चौड़ाई में यानि 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन किया जावे। रहन बैंक यथावत् दर्ज रखा जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी, भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़